राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ23(46)लेखा/आकाशि/जनजाति छात्रवृत्ति/2023–24/8114 दिनांकः– 12.12.2023

योजना का नाम –सहरिया जनजाति छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता

उद्देश्य –

सहरिया जनजाति के लोग उच्च शिक्षाओं में अपने बच्चों को इस लिये अध्ययन नहीं कराते हैं क्योंकि उच्च कक्षाओं की फीस व स्टेशनरी अधिक व महंगी होती है तथा अपने गांव से बाहर भेजने पर शहरी मकान किराया वहन नहीं कर पाते हैं इसलिए विभाग द्वारा इस योजना के माध्यम से महाविद्यालय में नियमित रुप से अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता –

1. छात्र–छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
2. छात्र–छात्रा राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होना चाहिए
3. छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
4. जो छात्र–छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
5. वैद्य जनाधार कार्ड एवं आधार होना चाहिए।
6. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल–निवासी होना चाहिए।

देय लाभ –

योजना के अंतर्गत सहरिया छात्र–छात्रा को स्टेशनरी क्रय हेतु 1000/–रुपये कॉलेज फीस हेतु 2000/–रुपये एवं मासिक व्यय अनुदान, मकान किराया, भोजन आदि हेतु 17000/– कुल 20,000/– रुपये दिये जाते हैं। महाविद्यालयों में बीए/एमए प्रथम वर्ष 20,000/– रुपये द्वितीय वर्ष 20,000/–रुपये एवं तृतीय वर्ष 20,000/– रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रदान किय जावेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेजः–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारुप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
2. छात्र–छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

आवेदन की प्रक्रिया –

1. जनजाति सहरिया छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
3. पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्त्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
5. स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

भुगतान प्रक्रिया–

स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया –

संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः–ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

सम्पर्क सूत्रः– सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।

हिस्सा (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) :– 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.08 1?:35:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4432775

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ23(46)लेखा/आकाशि/जनजाति छात्रवृत्ति/2023–24/8115 दिनांकः– 12.12.2023

योजना का नाम – सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

उद्देश्य –

योजना का मूल उद्देश्य सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्रा राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके, इसके लिए इन छात्र–छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति (स्टाईफण्ड) शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता –

1. छात्र–छात्रा राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/गैर राजकीय बी.एड प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षणार्थी होना चाहिए।
3. छात्र–छात्रा के माता/पिता/ अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता न हो।
4. जो छात्र–छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
5. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
6. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल–निवासी हो।

देय लाभ –

योजना के अंतर्गत सहरिया बी.एड प्रशिक्षणार्थी को कॉलेज फीस व पुस्तकें क्रय हेतु 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष– 30,000/–रुपये एवं द्वितीय वर्ष 30,000/–/रुपये तथा कक्षा 12वीं के पश्चात् 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष 15,000/–रुपये, द्वितीय वर्ष 15,000/–रुपये, तृतीय वर्ष 15,000/– रुपये एवं चर्तुथ वर्ष 15,000/–रुपये।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेजः–

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
2. छात्र–छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

आवेदन की प्रक्रिया –

1. सहरिया छात्र/छात्राओं को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के लिए हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
3. पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्त्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
5. स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

भुगतान प्रक्रिया–

स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृत्ति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया –

संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः–ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

सम्पर्क सूत्रः– सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।

हिस्सा (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) :– 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार

आयुक्त

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref 4432775

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.08 1?:35:24 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ23(46)लेखा/आकाशि/जनजाति छात्रवृत्ति/2023–24/ 8116 दिनांकः– 12.12.2023

योजना का नाम – जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

उद्देश्य –

राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करना व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता –

1. छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
2. छात्रा निजी/राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत् हो।
3. छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
4. योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
5. जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
6. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
7. छात्रा राजस्थान की मूल–निवासी हो।

देय लाभ –

जनजाति छात्राएं जो महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उन्हें निरन्तर अध्ययन हेतु 500/–रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु 5000/–रुपये (अधिकतम) आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जायेगी।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेजः–

1. गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र–छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
2. छात्र–छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

आवेदन की प्रक्रिया –

1. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता हेतु प्रति शैक्षणिक वर्ष में आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरे जायेंगें।
2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं ।
3. पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाली छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन करें।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गहन जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्त्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
5. स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

भुगतान प्रक्रिया–

स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया –

संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः–ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

सम्पर्क सूत्रः– सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।

हिस्सा (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) :– 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार

आयुक्त

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज.जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
4432775

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.08 18:35:24 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ23(46)लेखा/आकाशि/जनजाति छात्रवृत्ति/2023-24/8117 दिनांकः- 12.12.2023

1. **योजना का नाम – बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता**

2. **उद्देश्य –**

राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को जो महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् है उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित करना।
योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

3. **पात्रता –**

   1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केंन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण, प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी।
   2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्तें लागू रहेगी।
   3. छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
   4. छात्र के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
   5. छात्र राजस्थान का मूल-निवासी हो
   6. योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
   7. जो छात्र राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
   8. छात्र राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत् हो।
   9. वैद्य जन आधार एवं आधार कार्ड होना चाहिए।

4. **देय लाभ –**

350/-रुपये प्रतिमाह की दर से दस माह हेतु 3500/-(अधिकतम) रुपये की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

5. **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेजः-**

   1. गरीबी रेखा से ऊपर के छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/आयकर दाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
   2. छात्र-छात्रा की पूर्व कक्षा की अंक तालिका की प्रति।
   3. अध्ययनरत् संस्था की फीस की रसीद

6. **आवेदन की प्रक्रिया –**

   1. जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरे जायेंगे।
   2. आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं ।
   3. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जांच कर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्त्ता नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जावेगा।
   4. स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति की जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (रिवर्ट) किया जावेगा।

7. **भुगतान प्रक्रिया-**

स्वीकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन बिल तैयार कर कोषालय के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार से लिंक बैंक खाते में राशि का सीधा भुगतान किया जावेगा। लाभार्थी का केवाईसी पूर्ण हो व जनाधार से लिंक बैंक खाता बन्द न हो। विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार से परिवार के मुखिया के खाते में जाएगी।

8. **छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया –**

संबंधित महाविद्यालय का संस्था प्रधान ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र जांच कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के स्वीकृतकर्त्ता नोडल अधिकारी, नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे।

नोटः-ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

9. **सम्पर्क सूत्रः-** सम्बन्धित जिलों के नोडल महाविद्यालय होगें।

10. **हिस्सा (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) :-** 100 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार

आयुक्त

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज.जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Suni Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.08 1_:35:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4432775